

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग -2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बृहस्पतिवार 23 सितम्बर, 2004 / 1 आश्विन 1926 (शक)

संख्या : 59

विषय: सदस्यों की नजर बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली के नाम जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, अंडमान जिला, पोर्ट ब्लेयर से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

मुझे सम्मान पूर्वक आपको यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को संज्ञेय अपराध रोकने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 151 के तहत नेशनल मेमोरियल (सेल्युलर जेल), पोर्ट ब्लेयर के निकट दिनांक 21.9.2004 को लगभग अपराह्न 1.30 बजे गिरफ्तार किया गया और उनको नेताजी स्टेडियम, पोर्ट ब्लेयर में रखा गया।

1. डॉ. जगदीश मुखी
2. श्री ओ.पी. बब्बर
3. श्री मॉगे राम गर्ग
4. श्री रविन्द्र नाथ बंसल
5. श्री पूरण चन्द योगी
6. श्री मोहन सिंह बिष्ट
7. श्री दयानन्द चंदीला ए

उन्हे उसी दिन अर्थात् 21.9.2004 को लगभग अपराह्न 3.00 बजे रिहा कर दिया गया।

सिद्धार्थ राव
सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)
Thursday 23rd September, 2004/1, Ashwina 1926 (Saka)

No.59

Sub: **DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from District Magistrate, Office of the District Magistrate Andaman District, Port Blair:

"I have the honour to inform you that the following Members of Delhi Vidhan Sabha were arrested/detained under Section 151 of Criminal Procedure Code 1973 near National Memorial (Cellular Jail), Port Blair at about 1330 Hours on 21.09.2004 and were lodged at Netaji Stadium, Port Blair subsequently, in order to prevent the commission of cognizable offences.

1. Dr. Jagdish Mukhi
2. Shri O.P. Babber
3. Shri Mange Ram Garg
4. Shri Ravinder Nath Bansal
5. Shri Puran Chand Yogi
6. Shri Mohan Singh Bisht
7. Shri Dayanand Chandeliya A

They were released at around 1500 Hours on the same day i.e. 21.09.2004."

SIDDHARATH RAO
SECRETARY